

अंडमान और निकोबार

प्रशासन

सचिवालय

संख्या..... फा.सं. M-170951(166)/2/2026-AT&CP-APWD-APWD_AN (कंप्यूटर संख्या: 142551):
फा.सं. TP-03/CE/2026/.....अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम योजना विनियमन , 1994 (1994 की संख्या 7) की धारा-9 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार की मंजूरी से स्वराज और शहीद द्वीप-2034 के मास्टर प्लान में निम्नलिखित बदलावों का प्रस्ताव करते हैं। इस मास्टर प्लान को आम जनता और दूसरों के हित में, और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (EoDB) के 'अनुपालन में कमी और अविनियमन - चरण-II' के तहत भारत सरकार की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, अंडमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 06.02.2025 को संख्या 20 के तहत मंजूर और प्रकाशित किया गया था।

अब, इसलिए, उक्त विनियमन की धारा-9 की उप-धारा (3) के तहत मिली शक्तियों प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल (प्रशासक) 'द डेली टेलीग्राफ्स' और 'द द्वीप समाचार' में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से (पैतालीस) 45 दिनों के भीतर उक्त बदलावों पर जनता से सुझाव आमंत्रित करते हैं।

संशोधन

स्वराज और शहीद द्वीप-2034 के मास्टर प्लान की रिपोर्ट में प्रस्तावित संशोधनों को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2005 के नियम-3 (4) के अनुसार फॉर्म-III में प्रकाशित किया गया है।

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	खंड संख्या	विवरण																
1	2	3	4																
1.	51	तालिका संख्या 4.2.4 खंड 4.2.4 की	मुख्य भूमि-उपयोग क्षेत्रों के लिए नियम 4.2.4 के अंतर्गत आने वाले खंड (Clause) को निम्नलिखित से बदल दिया जाएगा: 4.2.4 मुख्य भूमि-उपयोग क्षेत्रों के लिए नियम भूमि-उपयोग क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों में प्रतिबंधित उपयोग और गतिविधियाँ (निषेधात्मक सूची) नीचे प्रत्येक क्षेत्र के लिए बताई गई हैं: <table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>भूमि-उपयोग गतिविधियों की श्रेणियां</th><th>हर मुख्य भूमि-उपयोग ज़ोन में प्रतिबंधित उपयोग/गतिविधियाँ</th><th>टिप्पणी</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>आवासीय</td><td></td></tr><tr><td></td><td>वाणिज्यिक</td><td>1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर,ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, लॉजिंग की जगहें। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़खाने प्रतिबंधित हैं।</td><td>500 वर्ग मीटर से ज्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।</td></tr><tr><td></td><td>सार्वजनिक और अर्ध-</td><td>1. पानी की सप्लाई, सीवरेज, तूफानी पानी की निकासी, ठोस कचरा निपटान</td><td></td></tr></table>	क्रम संख्या	भूमि-उपयोग गतिविधियों की श्रेणियां	हर मुख्य भूमि-उपयोग ज़ोन में प्रतिबंधित उपयोग/गतिविधियाँ	टिप्पणी	1.		आवासीय			वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर,ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, लॉजिंग की जगहें। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़खाने प्रतिबंधित हैं।	500 वर्ग मीटर से ज्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।		सार्वजनिक और अर्ध-	1. पानी की सप्लाई, सीवरेज, तूफानी पानी की निकासी, ठोस कचरा निपटान	
क्रम संख्या	भूमि-उपयोग गतिविधियों की श्रेणियां	हर मुख्य भूमि-उपयोग ज़ोन में प्रतिबंधित उपयोग/गतिविधियाँ	टिप्पणी																
1.		आवासीय																	
	वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर,ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, लॉजिंग की जगहें। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़खाने प्रतिबंधित हैं।	500 वर्ग मीटर से ज्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।																
	सार्वजनिक और अर्ध-	1. पानी की सप्लाई, सीवरेज, तूफानी पानी की निकासी, ठोस कचरा निपटान																	

				सार्वजनिक	प्रणाली, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन आदि जैसी सुविधाओं के लिए ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक बुनियादी ढांचा) वाली सभी ज़मीनें 'पब्लिक और सेमी-पब्लिक ज़ोन' में शामिल हैं। 2. कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर (सामाजिक बुनियादी ढांचा) के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी ज़मीनें। 3. 0.25 हेक्टेयर से ज्यादा ज़मीन पर बने पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।	
				परिवहन और संचार	1. फ़्यूल फिलिंग स्टेशन, 30 HP से ज्यादा क्षमता वाले इंस्टॉलेशन वाले सर्विस स्टेशन 2. 100 वर्ग मीटर से ज्यादा फ़्लोर एरिया वाले मोटर गैराज और वर्कशॉप 3. ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस 4. गुड्स टर्मिनल 5. वेयरहाउस, गोदाम, कार्गो ट्रांज़िट यार्ड 6. लोडिंग, अनलोडिंग प्लेटफ़ॉर्म, वे-ब्रिज 7. हेलीपैड	
				पार्क और खुली जगहें	1. एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स (प्रदर्शनी स्थल) 2. फ़ेस्टिवल ग्राउंड्स (उत्सव स्थल) 3. फ़ेयर ग्राउंड्स (मेला स्थल) 4. सर्कस ग्राउंड्स (सर्कस स्थल) 5. कैंपिंग ग्राउंड्स (कैंपिंग स्थल) 6. मनोरंजन और अम्यूज़मेंट पार्क 7. वॉटर / एडवेंचर स्पोर्ट्स 8. इकट्ठा होने की जगहें (मैदान) 9. वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट (तटीय क्षेत्र का विकास) 10. जूलॉजिकल गार्डन (चिड़ियाघर) 11. बॉटैनिकल गार्डन (वनस्पति उद्यान) 12. पक्षी अभयारण्य	
				औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में, मछली पकड़ने के उद्योग और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को	

					'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
			2.	वाणिज्यिक		
				पार्क और खुली जगहें	1. वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट 2. प्राणी उद्यान 3. वनस्पति उद्यान 4. पक्षी अभयारण्य	
			3.	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक		
				वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, ठहरने की जगहें। 6. गोदाम।	500 वर्ग मीटर से ज्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
				औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में से, मछली पकड़ने के उद्योग और मछली पकड़ने से जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को 'ऑरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
			4.	परिवहन और संचार		
				वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पैविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिज़ॉर्ट, लॉजिंग की जगहें। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़खाने प्रतिबंधित हैं।	500 वर्ग मीटर से ज्यादा फ़्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
				सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	1. पानी की सप्लाई, सीवरेज, तूफानी पानी की निकासी, ठोस कचरा निपटान प्रणाली, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन आदि जैसी सुविधाओं के लिए ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक बुनियादी ढांचा) वाली सभी ज़मीनें 'पब्लिक और सेमी-पब्लिक ज़ोन' में शामिल हैं। 2. कब्रिस्तान, श्मशान घाट आदि जैसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर (सामाजिक बुनियादी ढांचा)	

				के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी ज़मीनें।	
				3. 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर बने पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।	
			पार्क और खुली जगहें	1. स्पोर्ट्स क्लब 2. स्पोर्ट्स स्टेडियम (इनडोर और आउटडोर) 3. मनोरंजन कॉम्प्लेक्स 4. खेल प्रशिक्षण केंद्र, सामाजिक और मनोरंजन क्लब 5. ओपन-एयर थिएटर 6. प्रदर्शनी मैदान 7. उत्सव मैदान 8. मेला मैदान 9. सर्कस मैदान 10. कैपिंग मैदान, मनोरंजन और अम्यूजमेंट पार्क 11. वॉटर / एडवेंचर स्पोर्ट्स, लोगों के इकट्ठा होने की जगहें (मैदान) 12. वॉटर-फ्रंट डेवलपमेंट 13. चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन 14. पक्षी अभयारण्य	
			औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत सभी उद्योगों में से, मछली पकड़ने के उद्योग और मछली पकड़ने से जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़कर, बाकी सभी उद्योगों को 'अरेंज' और 'रेड' उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है।	
			5.	पार्क और खुली जगहें	
			वाणिज्यिक	1. ऑफिस। 2. रिटेल शॉपिंग/मॉल, सिनेमा थिएटर, ऑडिटोरियम और कॉन्सर्ट हॉल। 3. रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर। 4. कन्वेंशन सेंटर, क्राफ्ट बाज़ार, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम और टूरिस्ट पेविलियन। 5. होटल, हॉलिडे रिसॉर्ट, रहने की जगहें (लॉजिंग)। 6. गोदाम। 7. किसी भी आकार के बूचड़खाने मना हैं।	500 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ्लोर एरिया वाली गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
			सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	सरकारी कार्यालय: 1. सरकारी कार्यालय और विभाग, जिनका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो	

				शैक्षिक संस्थान: 1. मिडिल, हाई और हायर 2. सेकेंडरी स्कूल 3. तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्वास्थ्य सुविधाएँ: 1. पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएँ फिजियोथेरेपी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर 2. 300 वर्ग मीटर से बड़े स्पेशलिटी अस्पताल। धार्मिक और सामुदायिक सेवाएं: 1. पूजा-स्थल (200 वर्ग मीटर से बड़े) 2. सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संस्थान / म्यूज़ियम (600 वर्ग मीटर से बड़े) 3. कम्युनिटी हॉल (600 वर्ग मीटर से बड़े) अन्य: 1. पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वाले) 2. पानी की सप्लाई, सीवेज, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोज़ल सिस्टम, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जैसी सुविधाओं के लिए ज़रूरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सभी ज़मीनें पब्लिक और सेमी- पब्लिक ज़ोन में शामिल हैं। 3. सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कब्रिस्तान, श्मशान घाट वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी ज़मीनें।	
			परिवहन और संचार	1. फ्यूल फिलिंग स्टेशन, 30 HP से ज़्यादा क्षमता वाले इंस्टॉलेशन के साथ सर्विस स्टेशन 2. 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा फ्लोर एरिया वाले मोटर गैराज और वर्कशॉप 3. ट्रांसपोर्ट ऑफिस 4. गुड्स टर्मिनल 5. वेयरहाउस, गोदाम, कार्गो ट्रांज़िट यार्ड 6. लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफॉर्म, वे-ब्रिज 7. हेलीपैड	
			औद्योगिक	अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति समय-समय पर सभी उद्योगों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड उद्योगों के रूप में वर्गीकृत करती है।	
2.	46-49	क्लाज़ नंबर 4.2.3 की	क्लाज़ नंबर 4.2.3 के तहत टेबल नंबर 4.2.3(क) से 4.2.3(च) में बताई गई अलग-अलग ज़ोन में ज़मीन के इस्तेमाल के ग्रुपिंग को हटा दिया जाएगा।		

